रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 79
No. 116] DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASADHA 20, 1935 [N.C.T.D. No. 79

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग
(आबंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सं. फा. 4(1)/विविध/पी-II/पीडब्लयूडी एवं एच/9387.– मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 का पुन: संशोधन क्ररके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– (1) इन नियमों को दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल)(संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा ।

2. नियम 11 का संशोधन :– दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 के नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :–

(2) ''किसी अधिकारी को आबंटित कोई आवास इसके कालम 2 से सम्बद्ध प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति/घटना के होने पर उप नियम (3) के अधीन रखा जा सकेगा, शर्त यह है कि आवास अधिकारी या उसके परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।

घटनाएं/परिस्थितियां

1. सेवा से त्याग पत्र पदच्युति या बरखास्तगी, सेवा की समाप्ति या अनुमति के बिना अनधिकृत अनुपस्थिति	1 माह

2. सेवानिवृत्ति अनुरोध पर	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 2 माह 6 गुणा लाइसेंस शुल्क पर 1 माह

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. डी. शर्मा, उप-सचिव

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(Allotment Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2013

No. F. 4(1)/Misc./P-II/PWD&H/9387.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Governmetn of NCT of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, as following, namely :

1. **Short title and commencement** :- (1) These rules may be called the Government of NCT of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come in to the force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 11** – In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules – 1977, for sub-rule (2), in rule 11, the following Shall be substituted, namely :-

(2) "A Residence allotted to an officer may, subject to sub-rule 3 be retained on the happening of any of the **events** specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the use of the officers or members of his family.

EVENTS

1. Resignation, dismissal or removal from Service, termination of service or unauthorised absence without permission	**1 month**
2. Retirement On Request	**2 months on normal licence fee 1 months on 6 times licence fee"**

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA. Dy. Secy.

C/11

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सं. फा. 3(364)/नीति/वैट/438-449.– मै, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 (इसके बाद 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) के मूल नियम 63 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अपेक्षित करता हूं कि सभी टैन धारक (TAN holders) जो कि दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 36ए के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए उत्तरदाई हैं, प्रपत्र डीवैट 43 को इलैक्ट्रोनिकली विभाग की वेबसाइट से उत्पन्न कर ठेकेदार(ों) को जारी करेंगे। इस प्रकार उत्पन्न किए गए प्रत्येक सर्टिफिकेट पर एक अद्वितीय पहचान होगी। ठेकेदार अधिनियम की धारा 36ए की उपधारा (6) के अंतर्गत क्रेडिट का दावा करने के लिए अपनी रिर्टन फार्म डीवैट-16/डीवैट-17 भरते समय इन अद्वितीय पहचान संख्य(ों) को उल्लिखित करेगा।

मैं एतद्द्वारा यह भी अपेक्षित करता हूं कि सभी टैन धारक (TAN holders) 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही से अपनी रिर्टन फार्म डीवैट-48 में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन भरेंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th July, 2013

No. F. 3(364)/Policy/VAT/438-449.—In exercise of the powers conferred by clause(c) of sub-rule (1) of Rule 63 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as 'the Rules'), I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby require that all the TAN holders responsible for deduction of TDS under section 36A of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as 'the Act'), shall issue TDS certificate electronically in Form DVAT-43 duly generated from the departmental website, to the contractor(s). A unique 10 will be generated on such certificates. The contractor(s) shall mention unique ID Number(s) in his return Form DVAT-16/DVAT-17 for claiming credit under section 36A(6) of the Act.

I also hereby require that all TAN holders shall file the return in Form DVAT-48, online through the departmental website, for each quarter commencing from the quarter ending 30th June, 2013.

This Notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 7(239)/नीति-1/वैट/2009/424-437.– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम 2 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 2 के उपनियम 4 (ख) तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित इलाहाबाद बैंक को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापारी के संबंध में, देय सभी मूल्य संवर्धित कर देयताओं को जमा करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त शासकीय कोषागार के रूप में घोषित करता हूँ ।

2. यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त उपरोक्त बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन है:–

(i) जमा राशि को भारतीय रिजर्व बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में मूल्य संवर्धित कर खाते में भौतिक रूप से भुगतान करने की स्थिति में तीन दिन के अंदर तथा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान करने की स्थिति में एक दिन के अंदर या ऐसे कम समय में जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो, में जमा किया जायेगा।

(ii) बिलंब से प्रेषित की जाने वाली राशि पर ब्याज लगाया जाएगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अद्यतन ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक होगा। ब्याज की राशि की गणना अवधि नगदी/अंतरण लेन देन या समाशोधन प्रलेख पारित करने की स्थिति में प्राप्तकर्ता शाखा में चालान प्राप्ति की तिथि या धनादेश के नगदीकरण की तिथि से प्रारम्भ होकर बैंक के लिंक शैल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में निपटान की तिथि के पूर्व तिथि तक की जायेगी।